पत्रांक–1प्रा0आ0–06 / 2016 2967 / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ / किशनगंज / अररिया / दरभंगा / मधेपुरा / भागलपुर / कटिहार /
सहरसा / सुपौल / गोपालगंज / पूर्वी चम्पारण / प0 चम्पारण एवं सारण

पटना–15, दिनांक– 05/8/16

विषय– **बाढ़ के कारण मृत व्यक्तियों / पशुओं तथा फसल क्षति के आकलन का प्रतिवेदन भेजने के पूर्व सत्यापन करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्त्तमान में राज्य में आयी बाढ़ के कारण विभिन्न जिलों से प्रपत्र IX में बाढ़ से मृत व्यक्त्यों की सूचना प्राप्त हो रही है। अब बाढ़ का पानी घटने की सूचना के बाबजूद विभिन्न जिलों से मृत व्यक्तियों की जो सूचना 05.08.2016 को प्राप्त हुई है, उसके अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि अचानक ही मृत व्यक्तियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो गयी है। यहाँ तक की सारण ने भी एक व्यक्ति की मृत्यु बाढ़ से प्रतिवेदित की है जबकि सारण में बाढ़ की पूर्व सूचना विभाग को नहीं है। बाढ़ से मृत्यु से अभिप्रेत होता है कि बाढ़ के पानी में संबंधित व्यक्ति बह गए होंगे। विभिन्न जिलों में आयी बाढ़ से किन्हीं के बह जाने की स्पष्ट सूचना के अभाव में मृतकों की संख्या संदेह उत्पन्न करती है। कदाचित स्नान करते समय डूब जाने की घटना को भी बाढ़ से मृत्यु की घटना के रूप में देखा जा रहा होगा।

2. अवगत हैं कि विभागीय अधिसूचना सं0 1418 / आ0प्र0, दिनांक–17.04.2015 द्वारा स्थानीय प्रकृति की आपदा के अंतर्गत नदियों / तालाबों / गडढ़ों में डूबने से होने वाली मौतों

क़ों भी शामिल किया गया है। अतएव जो मौंते इन कारणों से हुई होगीं उन्हें बाढ़ से हुई मृत्यु के आंकड़ों में शामिल करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता अपितु इन्हें स्थानीय प्रकृति की आपदा के अंतर्गत शामिल कर अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जा सकता है।

3. अतएव अनुरोध है कि बाढ़ से हुई जो मृत्यु प्रतिवेदित की गयी है अथवा की जाए उनका सत्यापन वरीय पदाधिकारियों की टीम भेज कर अवश्य करा लिया जाए। साथ ही पशुओं की बाढ़ से हुई मृत्यु का भी सत्यापन करा लिया जाए। दोनों ही स्थितियों में यदि मृत्यु बाढ़ में बह जाने के कारण हुई हो तो उसे बाढ़ में हुई मृत्यु माना जाएगा किन्तु नदी/ तालाबो/ गड्ढों में हुई मृत्यु को स्थानीय प्रकृति की आपदा मानकर अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा।

4. बाढ़ से फसलों का भी नुकसान हुआ है तथा साहाय्य मानदर के अनुरूप उन्हें कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) का भुगतान किया जाना है। इस हेतु आवश्यक है कि इसका सर्वेक्षण करवा लिया जाय। परंतु सर्वेक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाय कि बाढ़ आने के समय क्या खेतों में फसलें बोयी गयी थीं? कारण यह है कि राज्य के किसी भी जिले में फसलों का आच्छादन शत प्रतिशत नहीं हुआ है। अतएव ऐसा न हो कि बिना इस तथ्य की जाँच किए कि संबंधित खेत फसल से आच्छादित थी अथवा नहीं, फसल क्षति प्रतिवेदित होने लगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का दृढ़ता से पालन किया जाए।

विश्वासभाजन

(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव
पटना–15, दिनांक– 05/8/16

ज्ञापांक 2967 /आ0प्र0,

प्रतिलिपि– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/8/16
संयुक्त सचिव